तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 105/2023(जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/249) बअनवान नरसिंहराम व अन्य बनाम लादूराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर.ए.एस.)

नरसिंहराम व अन्य

बनाम

लादूराम इत्यादि

उपस्थित

1. श्री देवेश वोहरा, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पों. संख्या दो
3. श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या चार

आदेश

दिनांक 15 अप्रैल 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 12/2020 अनवान मांगीलाल व अन्य बनाम लादूराम इत्यादि में पारित आदेश दिनाक 28 मार्च 2022 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 03 जुलाई 2023 को प्रस्तुत की गई।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मयाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस करते हुए कथन किया कि उभय पक्षकारान आपस से काका-भतीजा भाई है तथा शुरू से ही उभय पक्ष अपने अपने हिस्से की जमीन पर काबिज है और इसी अनुसार सहमति से एक बंटवाडा भी दिनांक 09-01-2013 को निष्पादित कर दिया था। उभय पक्ष उक्त बंटवाड़े के अनुसार अपने-अपने हिस्से पर काबिज है और काश्त कर रहे हैं। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना आक्षेपित आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित करते समय बंटवाडे रजिस्टर्ड नही होना मानते हुए उक्त बंटवाड़ के तथ्यो को दरकिनार कर दिया है, जबकि कोई भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 105/2023(जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/249) बजरंगलाल नरसिंहराम व अन्य बनाम लादूराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दस्तावेज को मात्र रजिस्टर्ड नहीं होने के आधार पर उसके अन्दर लिखे तथ्यों व हस्ताक्षर को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। उक्त दस्तावेज के विरुद्ध आज दिन तक कोई मुकदमा एफ आई आर प्रत्यर्थीगण द्वारा नहीं की गई है, जो दस्तावेज की स्वीकृति को दर्शाता है। वादग्रस्त आराजी ही अपीलार्थीगण के रोजी-रोजी व कमाने का एकमात्र साधन है और उपरोक्त कृषि भूमि पर ही खेती करके अपीलार्थीगण अपने व अपने परिवार का भरणपोषण जीवनयापन करते है और अपीलार्थीगण को कृषि कार्य करने से रोके जाने पर अपीलार्थीगण व उनके परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। यह उल्लेखनीय है कि इन्ही पक्षकारो द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में पूर्व में एसडीएम बिलाडा के समक्ष बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लादूराम द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो मूलवाद संख्या 61/2009 लादूराम बनाम नरसिंहराम वगैरह के नाम से दर्ज होकर वादीगण की अनुस्थपति में खारिज हो गया था। वादीगण द्वारा उक्त वाद को आदेश 9 नियम 13 के तहत रेस्टोर करवाये बिना सीधे ही नवीन वाद प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की है। वादीगण का उक्त वाद विधि के सिद्धान्त रेस्ज्यूडिकेटा से बाधित होने से चलने काबिल नहीं है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को भी दरकिनार कर आक्षेपित आदेश पारित कर किया जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश पारित होने की जानकारी ही नही दी, जिस कारण उपरोक्त आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को समय पर नहीं हो सकी तथा वे समयानुसार अपील प्रस्तुत कर नहीं पाये। अधिवक्ता की गलती का हर्जाना पक्षकारान से नहीं पूरा किया जा सकता। इस कारण अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है, वह सदभाविक व युक्तियुक्त देरी है, जिसे माफ करने में किसी भी पक्षकार को हानि नहीं होगी।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 मार्च 2022 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खारिज फरमाया जावे।

जवाब मे रेस्पोडेंट संख्या दो के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील विहित धारा के तहत न पेश कर भू-राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत पेश की है जो पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति मे हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 37 रकबा 67.10 बीघा, खसरा नंबर 90 रकबा 19.06 बीघा, खसरा नंबर 104 रकबा 15.09 बीघा उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तथा वादग्रस्त आराजी का विधिवत्त विभाजन होना है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही पायी जाती है।

अपीलांट का उज्र है कि वादग्रस्त आराजी का दिनांक 09 जनवरी 2013 को सहमति से विभाजन हो चुका है। इस संबंध मे राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त सहमति के विभाजन की पालना मे राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद नही हुआ है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त तथ्य का निर्धारण मूल वाद मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जरिये साक्ष्य तय होना है।

जहां तक अपीलांट्स को उज्र है कि रेस्पोंडेंट्स अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट्स को अपने हक-हिस्से की भूमि में कृषि कार्य करने से रोक रहे है। इस संबंध में अदालत हाजा का मत है अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में पक्षकारान् को अपने-अपने हक हिस्से की भूमि में कृषि कार्य करने से नहीं रोका जा सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 06.08.2020 में वादग्रस्त आराजी पर उभय पक्षकारान् का कब्जा काश्त दर्शाया हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त कब्जा काश्त अनुसार पक्षकारान् को अपने-अपने हक-हिस्से की भूमि मे कृषि कार्य किये जाने की छूट प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलांट्स को मौका फर्द दिनांक 06.08.2020 के अनुसार अपने हक-हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि में कृषि कार्य की छूट प्रदान की जाती है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर